क्रम.संख्या–51

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू/एन०पी०–91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 20 फरवरी, 2009

फाल्गुन 1, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 348/79-वि-1–09-1(क)33-2008

लखनऊ, 20 फरवरी, 2009

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर दिनांक 19 फरवरी, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2009 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 2009

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2009)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड और इसकी समनुषंगियों के अनुसूचित उपक्रमों और चीनी मिलों को अपनियोजित करने और विक्रय की व्यवस्था करने और उससे संबंधित तथा आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 का अग्रतर संशोधन करने के लिए :–

अधिनियम

चूंकि वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में जनहित में ऐसा करना समीचीन है कि उत्तर प्रदेश चीनी निगम लिमिटेड और अनुसूचित उपक्रमों में अपने अंशों को राज्य सरकार परित्याग कर दे और उत्तर प्रदेश चीनी निगम लिमिटेड की चीनी मिलों और इसकी समनुषंगियों का चाहे विक्रय या अंतरण की किसी अन्य रीति से निजीकरण कर दें :–

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायगा।

(2) यह 29 सितम्बर, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1971 में नई धारा 3-क, 3-ख, 3-ग, 3-घ, और 3-ङ का बढाया जाना

2—उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :—

"3क—इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी राज्य सरकार, यदि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो अपने सभी या किसी अंश का किसी भी समय परित्याग, विक्रय, अंतरण या अन्यथा पृथक कर सकती है।

3ख—इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी निगम या इसकी समनुषंगी, जनहित में अपनी किन्हीं आस्तियों और/या दायित्वों या उसके भाग को, जो निगम में निहित हैं, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार या किसी अन्य रीति से विक्रय या अंतरित कर सकती है।

3ग—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी राज्य सरकार के लिए, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक हैं, यह विधिसंगत होगा कि निगम के अनुसूचित उपक्रमों की भूमि के संबंध में या निगम या इसकी समनुषंगी द्वारा अर्जित या स्थापित किसी चीनी मिल की भूमि के संबंध में किसी भी समय भू-उपयोग का परिवर्तन कर दे या भू—उपयोग के परिवर्तन के लिए निर्देश जारी करे।

3घ—निगम और इसकी समनुषंगी के अनुसूचित उपक्रमों या चीनी मिलों के या स्वयं निगम के संबंध में भी किसी भी रूप में अपनियोजन, निजीकरण, विक्रय अंतरण या बन्दी के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या—1215एससी/18—2—07—56/07 टी0सी0, दिनांक 04 जून, 2007 तथा समस्त परवर्ती शासनादेश, अधिसूचनाएं या नीतिगत घोषणाएं और की गयी कार्यवाई विधिमान्य मानी जायेगी।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

3ङ—यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए जैसा आवश्यक या समीचीन समझे, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों :

परन्तु उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 2009 के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायगा।"

निरसन और अपवाद

3—(1) एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अध्यादेश, 2008 निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2008

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

कतिपय चीनी मिलों के मालिकों अथवा पट्टेदारों द्वारा उत्पन्न की गयी समस्याओं से उन क्षेत्रों, जहाँ ऐसी मिलें स्थित थीं, के उत्पादकों, मजदूरों और सामान्य अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। अतएव ऐसी मिलों के सुचारू रूप से संचालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1971) अधिनियमित कर उन्हें कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड में निहित कर दिया गया। तत्समय उक्त निगम की कुल 33 इकाइयां थीं, जो अत्यंत पुरानी और कम क्षमता की थीं और जिनमें से बहुत सी बंद थी और वित्तीय दृष्टि से उपादेय न होने के कारण गन्ना पिराई नहीं कर रही थीं। फलतः वे घाटे में चल रही थी। ऐसी चीनी मिलों को लाभ में चलाने के लिए अनेक प्रयास किये गये, परन्तु प्रयासों के उपरान्त भी ये चीनी मिलें सुचारू रूप से नहीं चल पायी और निरन्तर हानि अर्जित कर रही थीं और आगे भी इनकी स्थिति में सुधार की सम्भावना अत्यंत क्षीण थी। उपर्युक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके निम्नलिखित व्यवस्था की जाय :–

(क) राज्य सरकार को निगम में अपने किसी अंश का परित्याग, विक्रय या अन्यथा पृथक करने के लिए प्राधिकृत करना;

(ख) निगम या इसकी किसी समनुषंगी को अपनी किन्ही आस्तियों और दायित्वों का, जो निगम में निहित हैं, विक्रय या अन्तरित करने के लिए प्राधिकृत करना;

(ग) निगम के अनुसूचित उपक्रमों की भूमि के सम्बंध में या निगम या इसकी समनुषंगियों द्वारा अर्जित या स्थापित चीनी मिलों की भूमि के सम्बन्ध में भू–उपयोग का परिवर्तन करने या भू–उपयोग के परिवर्तन के लिए निर्देश जारी करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करना;

(घ) कतिपय शासनादेशों, अधिसूचनाओं या नीतिगत घोषणाओं को विधिमान्य करना;

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतएव राज्यपाल द्वारा दिनांक 29 सितम्बर, 2008 को उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2008) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,
सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG-1

No. 348(2)/LXXIX-V-1–09-1(ka) 33-2008
Dated Lucknow, February 20, 2009

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Chini Upkram (Arjan) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2009 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 2009) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 19, 2009 :

THE UTTAR PRADESH SUGAR UNDERTAKINGS (ACQUISITION) (AMENDMENT) ACT, 2009

(U.P. ACT No. 3 of 2009)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sugar Undertakings (Acquisition) Act, 1971 to provide for disinvestment and sale of the scheduled undertakings and sugar mills of the Uttar Pradesh State Sugar Corporation Limited and its subsidiaries and matters connected therewith and incidental thereto.

WHEREAS in the present economic scenario it is expedient in public interest that the State Government divests itself of its shares in the Uttar Pradesh State Sugar Corporation Limited and the scheduled undertakings and the sugar mills of the Uttar Pradesh State Sugar Corporation Limited and its subsidiaries are privatized either by way of sale or any other mode of transfer;

IT IS HEREBY enacted in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sugar Undertakings (Acquisition) (Amendment) Act, 2009.

(2) It shall be deemed to have come into force on September 29, 2008.

Insertion of New sections 3-A, 3-B, 3-C, 3-D and 3-E, in U.P. Act no. 23 of 1971

2. *After* section 3 of the Uttar Pradesh Sugar Undertakings (Acquisition) Act,1971, hereinafter referred to as the principal Act the following sections shall be *inserted,* namely:-

"3A. Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, the State Government may, if it considers necessary or expedient in public interest, divest, sell off, transfer or otherwise part with all or any of its shares in the Corporation at any time.

3B. Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, the Corporation or any of its subsidiaries may, in public interest, sell or transfer any of its assets and/or liabilities or part thereof which have vested in the Corporation in accordance with the provisions of this Act, or in any other manner.

3C. Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force it shall be lawful for the State Government, if it is satisfied that in the public interest it is necessary to do so, to change the land use or to issue directions for change of land use in relation to the land belonging to the scheduled undertakings of the Corporation or in relation to land belonging to any sugar mill acquired or established by the Corporation or its subsidiaries at any time.

3D. The Government Order No. 1215S.C./18-2-07-56/07T.C. dated June 4, 2007 and all subsequent Government Orders, notifications or policy statements issued and actions taken in relation to disinvestment, privatization, sale, transfer in any form or closure of the scheduled undertakings or sugar mills of the Corporation and its subsidiaries or in relation to the Corporation itself shall stand validated.

Power to remove difficulties

3E. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by notified order make provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to it to be necessary or expedient for removing such difficulty:

Provided that no order under this section shall be made after expiration of a period of two years from the commencement of the Uttar Pradesh Sugar Undertakings (Acquisition) (Amendment) Act, 2009".

U.P. Ordinance no. 6 of 2008

3-(1) The Uttar Pradesh Sugar Undertakings (Acquisition) (Amendment) Ordinance, 2008 is hereby repealed. Repeal and Saving

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The serious problems created by owners or lessees of certain sugar mills were adversely affecting the producers, labourers and general economy of the areas where they situated. Therefore, with a view to ensuring the running of such mills properly they were vested in the Uttar Pradesh State Sugar Corporation Limited established under section 617 of the Companies Act, 1956 by the State Government by enacting the Uttar Pradesh Sugar Undertakings (Acquisition) Act, 1971 (U.P. Act no. 23 of 1971). there were 33 units of the said Corporation for the time being which were very old and of less capacity of which many were closed and being of less utility in financial aspect they were not crushing sugarcane. Consequently they were running in loss. Many efforts were made to bring such sugar mills to run in profit but in spite of such efforts they could not be caused to run properly and continued to run in loss and the possibility of their reform in future was very thin. In view of the above circumstances it was decided to amend the said Act mainly to provide for,–

(a) authorising the State Government to divest, sell off, or otherwise part with any of its shares in the Corporation,

(b) authorising the Corporation or any of its subsidiaries to sell or transfer any of its assets and liabilities vested in the Corporation,

(c) empowering the State Government to change the land use or to issue directions for the change of land use with respect to the land belonging to the scheduled undertakings of the Corporation or to the sugarmills acquired or established by the Croporation or the subsidiaries thereof,

(d) validating certain government orders, notifications or policy statements.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh Sugar Undertakings (Acquisition) (Amendment) Ordinance, 2008 (U.P. Ordinance no. 6 of 2008) was promulgated by the Governor on September 29, 2008.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
P.V. KUSHWAHA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 996 राजपत्र (हि०)–2009–(2,74)–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 178 सा० विधा०–21.2.2009–(2175)–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।